न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–25/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00025)

1. श्री नन्दराम पुत्र श्री रामदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्री मिश्री लाल पुत्र श्री रामदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. श्री गणपतलाल पुत्र श्री रामदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर। (मृतक)

   3/1 श्रीमती गीता पत्नि स्व0 श्री गणपतलाल जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर। (मृतक) जरिए वारिसान अपीलांट्स संख्या 3/2, 3/3। **विलोपित**

   3/2 श्री गोरधन पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

   3/3 श्रीमती हेमा पुत्री स्व0 श्री गणपतलाल जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रामपालदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. श्रीमती नौसर देवी बेवा श्री रामपालदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री रामपालदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामपालदास जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमती जीवण देवी पत्नि श्री शिवप्रसाद जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
6. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
7. श्री देशराज पुत्र श्री शिवप्रसाद जाति वैष्णव निवासी ग्राम शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान नायब तहसीलदार उपतहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
10. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 18/2008

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4 से 7
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8, 9
5. रेस्पोडेंट संख्या 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—14.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने प्रतिवादी अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस संख्या 4 लगायत 9 के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर के यहां पर प्रस्तुत किया जो दिनांक 11.2.2017 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, जिला अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया था और न ही कोई नोटिस अपीलान्ट पर तामील हुआ था. और न ही प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे, और न ही प्रार्थीगण व उनके अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई सहमति प्रदान की थी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी तथा प्रार्थीगण को दिनांक 09/01/2018 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे विरूद्ध मसूदा से निर्णय हो चुका है। तत्पश्चात् प्रार्थीगण मसूदा गये, और न्यायालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके विरूद्ध निर्णय दिनांक 11/02/2017 को हो चुका है। जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने दिनांक 09/01/2018 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था जिस पर प्रार्थीगण को नकल दिनांक 12/01/2018 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात् प्रार्थीगण अपने गांव गये और रुपये पैसे का इंतजाम कर

अजमेर आए और अपने अभिभाषक से मिलकर बिना किसी विलम्ब के जानकारी के आधार पर न्यायालय में यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त देरी सद्भाविक तौर पर हुई है तथा प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09/01/2018 को हुई इसलिये दिनांक 11/02/2017 से दिनांक 16/01/2018 तक का समय माफ किया जाए तथा जानकारी के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाकर अपील का निर्णय गुण–दोष के आधार पर पारित किया जाये जिससे प्रार्थीगण को उचित न्याय की प्राप्ति हो सके। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकेगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री करने का विवादित आदेश प्रदान किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था उनके संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किए थे

जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों का निर्धारण किया है उन तथ्यों को निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं थे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों को आधार मानकर विवादित निर्णय प्रदान किया है वह सभी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पूर्व में भी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष दिनांक 20.06.2016 को प्रस्तुत हुआ था। जिसमें राजीनामा नहीं हुआ था। उस दिन भी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं थे,और न ही उनके व उनके अभिभाषक के न्यायालय के आदेशिका पर हस्ताक्षर थे। इसके उपरान्त भी न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में दिनांक 12.01.2017 से 17.02.2017 की तारीख पेशी प्रदान की गई थी। लेकिन बिना किसी सूचना के पत्रावली दिनांक 11.02.2017 को लोक अदालत कैम्प मुकाम मसूदा पर प्रस्तुत हुई। जबकि इस तारीख पेशी की अपीलांटस को कोई सूचना प्रदान की गई थी और न ही इस तारीख पेश की जानकारी अपीलांटस को थी और न ही दिनांक 11.02.2017 को अपीलांटस या उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे और न ही उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने कुल 13 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनको रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टस को सुने प्रदान किया है। जबकि इस बाबत् अपीलान्टस को सुना जाना अत्यधिक आवश्यक था तथा अपीलान्ट को रिबटल का अवसर प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करने से पूर्व अपीलान्टस को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया, और न ही कोई नोटिस अपीलान्टस को प्राप्त हुआ था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायाल ने पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का विवादित आदेश प्रदान किया है। जबकि अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई सहमति प्रदान नहीं की थी और न ही अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व अपीलान्टस को समूचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 11.02. 2017 में बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को पक्षकरों की सहमती के आधार पर खातेदार घोषित किया जबकि दूसरी तरफ विस्तृत निर्णय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार घोषित कर रामपालदास के स्थान पर महावीर दास का नाम का अलम करने का विवादित आदेश प्रदान किया है, तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी अपीलान्ट को पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान किया है। यह तथ्य पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 23 नियम 3 सी०पी०सी० में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज करके विवादित निर्णय प्रदान किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस राजीनामे पर अपीलान्टस के हस्ताक्षर नहीं थे, और न ही इस राजीनामे पर अपीलान्टस ने कोई सहमती प्रदान की थी, और न ही अपीलान्टस इस राजीनामे से पाबन्द है, तथा यह राजीनामा अपीलान्टस को स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि अपीलान्टस ने खातेदार काश्तकार रामपालदास से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1979 को खरिदी थी। जिसके बाद से विवादित भूमि पर

अपिलान्टस का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है। जबकि विवादित भूमि पर कभी भी वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 एवं 4 लगायत 7 का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है। इसलिये बिना कब्जे के वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद को रवीकार कर डिक्री नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई भी निर्णय पारित नहीं किया है। तथा कानूनी प्रावधानों के तहत अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर निर्णय पारित करना चाहिये था क्योंकि विवादित भूमि अपीलान्टस ने खातेदार काश्तकार रामपालदास से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1979 को खरीदी थी। जिसके बाद से विवादित भूमि पर अपिलान्टस का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है। इसलिये अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा से वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को पाबन्द करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय व डिक्री केवल राजीनामे को आधार मान कर पारित की थी। जबकि राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना अत्यधिक आवश्यक है, तथा इस राजीनामे पर अपीलान्टस के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिये इस राजीनामे का कोई कानूनी महत्व नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नम्बर 840/2025, 2023(2)डीएनजे रेवे0 1381 प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामपालदास ने यह वाद ग्राम शिखरानी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1141 रकबा 5—00—00 बीघा व 1141/4812 रकबा 6—19—00 बीघा कुल किता 2 रकबा 11—19—00 बीघा स्व0 रामपालदास वल्द हनुमानदास द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.3.2008 के आधार पर विवादित आराजी में खातेदार होने की घोषणा एवं रामपालदास के स्थान पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में लगवाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 तथा 7/1 से 7/3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार किया गया तथा वादी महावीर प्रसाद वल्द रामपालदास जाति वैष्णव को ग्राम शिखरानी स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1581 हाल नम्बर 1141 रकबा 5 बीघा व साबिक नम्बर 1591 हाल नम्बर 1141/4812 रकबा 6—19—00 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख में स्व0 रामपालदास के स्थान पर महावीर प्रसाद वल्द रामपालदास के नाम अमल करने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज

रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते रेस्पोडेंटस संख्या 4 से 7/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 प्रस्तुत कर उभयपक्षों के मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को साबिक खसरा नम्बर 1581 हाल न0 1141 रकबा 5 बीघा व साबिक न0 1591 हाल न0 1141/4812 रकबा 6–19–00 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश दिनांक 11.02.2017 को पारित किए गए। उक्त आदेश से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 20.6.2016 में प्रस्तुत हुआ था परंतु उस समय भी पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हुआ था, क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व उनके अभिभाषक दिनांक 20.6.2016 को उपस्थित नहीं हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 12.1.2017 से 17.2.2017 की तारीख पेशी प्रदान की गई थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को बिना किसी सूचना के नियत दिनांक से 6 दिन पूर्व ही पत्रावली को लोक अदालत कैम्प मसूदा में प्रस्तुत किया गया। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को या उनके अभिभाषक को किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस जारी किया गया हो ऐसा पत्रावली में कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

चूंकि दिनांक 11.2.2017 को ना तो अपीलांट व ना ही उनके अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे ना ही पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज कर उक्त आदेश दिनांक 11.2.2017 पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 4 से 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उक्त राजीनामे पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर नहीं थे ना ही राजीनामे बाबत अपीलांट्स की सहमति थी। बिना अपीलांटगण की सहमति के राजीनामा स्वीकार योग्य ही नहीं था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर राजीनामे को स्वीकार किया गया जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजीनामा पूर्णरूप से एकपक्षीय था क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा, विधिक राजीनामे की श्रेणी में नहीं आता है। जिस राजीनामे में प्रकरण से संबंधित समस्त उभयपक्षकारन की सहमति हो उसे विधिक राजीनामा कहते है। परंतु उक्त राजीनामे बाबत केवल मात्र रेस्पोडेंटस संख्या 4 से 7 ही सहमत थे इसके अलावा प्रकरण से संबंधित पक्षकारान को इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई व ना ही वे तत्समय उपस्थित थे ना ही उनकी उक्त राजीनामे बाबत स्वीकृति थी। वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष दिनांक 02.05.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 (3) सीपीसी प्रस्तत किया गया था, जिसमें दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 20.06.2016 तक बहस हेतु मुकर्रर रखा गया था, इस बीच उक्त पत्रावली दिनांक 20.06.2016 को लोक अदालत में प्रस्तुत की गयी थी जिसमें वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 05 स्वयं एवं 6 के विधिक वारिसान जिनकी पूर्व में दिनांक 05.04.2013 को एकतरफा कार्यवाही (एक्स पार्टी) की जा चुकी थी तो बिना एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाये पुनः उन्हीं पक्षकारों के राजीनामा बाबत हस्ताक्षर करवाये गये है जो विधिविरूद्ध है। जब पूर्व में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी तो एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये बिना प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 के विधिक वारिसानों को प्रकरण में नहीं सुना जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु को नजरअंदाज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के तहत काउण्टर क्लेम पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्योंकि विवादित आराजीत अपीलांट्स ने खातेदार काश्तकार रामपालदास से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 7.11.1979 को खरीद किया जाना पाया जाता है इसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि काउंटर क्लेम पर विधिवत रूप से आदेश पारित किये जाते तो अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिलता एवं वाद पत्र एवं काउंटर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम कर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है।

वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 वास्ते दावे को अमेन्ड करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा संशोधित उनवान की आड में संशोधित दावा व बयान शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 दिनांक 17.2.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया तथा न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक 17.2.2017 को ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को इस बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई ना ही उन्हें उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का ना ही अपने निर्णय में ना ही आदेशिका में कोई अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु पर विचार किए बिना व उक्त प्रकरण में न्याय नियमों को दरकीनार करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जोकि विधि सम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंटस द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों को बिना अपीलांट्स को सुने रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश पारित किए गए। जबकि इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित था, जिससे अपीलांट्स को रिबटल का अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों का विधिवत परीक्षण किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है

कि उक्त प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन कर तनकीयात निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर पुनः गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.07.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर